श्री अमर सिंह राठवा : गवर्नमेंट का शेयर तो है, लेकिन 51 परसेन्ट नहीं रखा है–ऐसा मेरा ख्याल है। मेरा प्रश्न है—इस कम्पनी के जो चेयरमैन हैं, वे गुजरात के सब से बड़े उद्योगपति रहे हैं, उन को बदला नहीं जा रहा है–इस का क्या कारण है? चूंकि एक उद्योगपति इस का चेयरमैन है, इसलिए इस में जरूर गड़बड़ होती होगी।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : चेयरमन कौन होगा, मैनेजिंग डाइरेक्टर कौन होगा—जहां तक मुझे मालूम है, इन को गवर्नमेंट एप्वाइंट करती है।

जो चेयरमन अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे हैं या जो मैनेजिंग डाइरेक्टर अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे हैं, उन को निकालने का पूरा अधिकार गवर्नमेंट को है लेकिन सवाल यहां पर यह नहीं है। सवाल तो माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कम्पनी जो केप्रोलेक्टम प्रोड्यूस कर रही है, उस के लिए मार्केट नहीं है, 5 हजार टन केप्रोलेक्टम उन के यहां पड़ा हुआ है और उस को कोई लेने वाला नहीं है। इसलिए यह क्राइसिस वहां पैदा हुआ है। उन्होंने जो प्रश्न पूछा था, उस का जवाब मैंने दे दिया है।

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : अभी मिनिस्टर साहब ने चेयरमन और मनेजिंग डाइरेक्टर के बारे में बताया कि अगर वे ठीक काम नहीं करते हैं तो उन को निकाला जा सकता है लेकिन मंत्री जी ने अपने रेप्लाई में बताया है कि इस कम्पनी का जो केप्रोलेक्टम है, वह ऊंची क्वालिटी का नहीं है और जो आयातित केप्रोलेक्टम की लैंडड कास्ट है, उस से वह महगा है। तो फिर जो चेयरमैन और मैनेजिंग डाइरेक्टर इन्होंने एप्वाइंट किये हैं, वे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात अपने उत्तर में इन्होंने यह बताई है कि कास्ट को रिड्यूस करने के लिये इन्होंने कहा था। मैं कहना चाहता हूं कि जो कैपिटल इस कम्पनी में एम्प्लाय किया गया है, उस का ठीक रिटर्न मिले और जो चेयरमैन और मैनेजिंग डाइरेक्टर गवर्नमेंट ने एपाइन्ट किये हैं, वे डिस्क्रिशनरी प्राइस तय कर देते हैं जिस की वजह से यह जो स्टेट अन्डरटेकिंग है, इस में यह सब घाटा होता है तो इस के माइने यह होते हैं कि आम लोगों के विश्वास के पात्र नहीं होते। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बारे कोई विचार नहीं कर रही है, जिस ढंग से स्टेट अडरटेकिंग चलनी चाहियें, उन को वैसे चलाने के लिए क्या आप कुछ सोच रहे हैं या नहीं।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : माननीय सदस्य का जो यह अभिप्राय है कि स्टेट फर्टिलाइजर कम्पनी घाटे में चल रही है, यह बात नहीं है। मुझे देश [illegible] र जो केप्रोलेक्टम पैदा होता है, गुजरात स्टेट फर्टि[illegible] जर कम्पनी में उस का काफी मात्रा में प्रोडक्शन होता है और उस की कैपेसिटी 20 हजार टन केप्रोलेक्टम पैदा करने की है और वह काफी मुनाफा [illegible] ती है उस को काफी प्रोफिट हो रहा है। 1977 [illegible] लेक्टम की कीमत 15600 रुपये टन थी जिस को बढ़ा कर उन्होंने 1980 में 26 हजार रुपये पर टन कर दिया और इस कीमत को बढ़ाने से कन्ज्यूमर्स सफर कर रहे थे। हमने उन को कहा कि इतना प्रोफिट मत कमाओ और इस में आप कुछ कमी कीजिए। इस तरह से आप देखेंगे कि यहां पर नुकसान का सवाल नहीं है लेकिन जब उन्हों ने प्रोफिट बहुत ज्यादा बनाना शुरू कर दिया और हम ने उन से कहा कि प्राफिट कम करो, अपनी प्राइस कम करो लेकिन प्राइस कम करने के लिए वे तैयार नहीं हुए जब ऐसी बात हुई तो हम ने इम्पोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया और एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा दिया। अब उन का माल, केप्रोलेक्टम बचा पड़ा है और बिक नहीं रहा है और इस वजह से उन के सामने मुश्किल आ रही है।

SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL: The only thing is, the Gvernment policy is import landed cost is much less than their product in India. Then all the material will be imported from out side the country.

MR. SPEAKER: No. Shri Motibhai Chaudhary.

श्री मोती भाई आर० चौधरी : अध्यक्ष महोदय प्रश्न यह रखा गया है कि क्या सरकार को पता है कि गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कम्पनी के बन्द होने की नौबत आ रही है। मैं जानना चाहता हूं कि इस कम्पनी ने पिछले 3 सालों में कितना मुनाफा कमाया है, कितना डिवीडेंड दिया है और मार्केट में उस के शेयरों की कीमत क्या है और उस के बन्द होने की जो नौबत आ रही है, उस की वजह क्या है?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : आप ने जो कम्पनी के बन्द होने का सवाल पूछा है उस के बारे में मुझे यह कहना है कि फर्टिलाइजर कम्पनी के बन्द होने का सवाल नहीं है। वहां पर फर्टिलाइजर तो प्रोड्यूस होता है लेकिन जो केप्रोलेक्टम का यूनिट है उस यूनिट की हालत यह हो गई है कि उन लोगों के भाव बहुत ज्यादा बढ़ाने की वजह से उस की कोई मांग नहीं है। इसलिए 5 हजार टन केप्रोलेक्टम वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। उस को लेने वाला कोई नहीं है यह हालत है लेकिन फर्टिलाइजर कम्पनी ठीक तरह से चल रही है।

अध्यक्ष महोदय: नेक्स्ट क्वेश्चयन। श्री राम विलास पासवान।

"आक्रोश" फिल्म को "ए" प्रमाण-पत्र दिया जाना

*840. श्री राम विलास पासवान : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सेंसर बोर्ड द्वारा "आक्रोश" फिल्म को "ए" (केवल व्यस्कों के लिए) प्रमाण-पत्र दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI VASANT SATHE): (a) and (b). Yes Sir. All films are examined by the Board of Film Censors in accordance with the provisions of the Cinematograph Act 1952 and the guidelines issued thereunder. In terms of these guidelines, films that are considered unsuitable for exhibition to non-adults are to be certified for exhibition to adult audiences only. Film 'Aakrosh' has been granted 'A' certificate as the Board found it unsuitable for non-adults. The Producer accepted this certificate.

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, यह जो हम लोगों के सेंसर बोर्ड के नियम हैं ये ब्रिटिश सेंसर बोर्ड के नियमों की हूबहू नकल हैं। इन में बहुत सारे नियम अनुपयुक्त हो गये हैं। दूसरे आप के जो नियम हैं उन की खुल कर अवहेलना कीजाती है। आप ने जो खोसला कमेटी बनाई थी उस की रिपोर्ट के पृष्ठ 110 पर अध्याय 8(19) में लिखा है कि—

> "वर्तमान कानून या वर्तमान सेंसर संहिता में ऐसी कोई चीज नहीं है, जो ऐसी फिल्म पर विचार का अधिकार देती हो, क्योंकि न तो अंग्रेजों ने, जिन्होंने शुरू में नियम बनाये व बम्बई फिल्म सेंसर बोर्ड ने जिस ने अधिकतर अंग्रेजों के ही 43 नियमों के आधार पर सामान्य सिद्धान्तों और आपत्तिजनक विषयों की सूची बनाई, और न सरकारी अधिकारियों ने ही, जिन्होंने स्वतंत्र भारत में वर्तमान सेंसर संहिता तैयार की, ऐसी विध्वंसकारी फिल्मों के बारे में सोचा था।"

मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या भारत में सेंसर संहिता नाम कि कोई चीज है? क्या इस विषय पर मार्गदर्शी सिद्धांत हैं? आजकल सेंसर बोर्ड जिस फिल्म को चाहे वे पास कर देते हैं। क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई लिखित आचार संहिता बनाने का विचार रखती है?

श्री वसन्त साठे : माननीय सदस्य ने जो कहा कि सेंसर के बारे में जो कानून हैं वे बहुत पुराने हो गये हैं इसलिए सिनेमाटोग्राफ एक्ट में अमेंडमेंट करने की बात सोची गयी है। हम अगले सेशन में सिनेमाटोग्राफ एक्ट में अमेंडमेंट ला रहे हैं। उस में खोसला कमेटी के सुझाव और अन्य जो सुझाव हैं वे भी विचार में लिये जाएंगे और वह आप के समक्ष विचार के लिए आ जाएगा।

जहां तक सेंसर बोर्ड का सवाल है, माननीय सदस्य का कहना है कि उस में कुछ सुधार की आवश्यकता है। गाइडलाइंस जो है, जहां तक माननीय सदस्य ने पढ़ा होगा कि वे गाइडलाइंस ठीक हैं। गाइड लाइन्स कितनी भी अच्छी हों, अमल करने में सारी कठिनाई पड़ती है। उस पर क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर विचार अवश्य किया जा रहा है।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो अपना मार्गदर्शी सिद्धान्त रखा है उस का खुल कर उल्लंघन किया जाता है। उसमें दिया है कि अपराधी पात्रों में रोमांस और वीरता गुणों को विभूषित न करता हो। लेकिन प्रायः फिल्मों में ऐसा देखा जाता है कि जो विलेन होता है उस को इतना बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है, इतना मारधाड़ करके लोगों को उत्तेजित किया जाता है कि आम तौर पर जब लोग सिनेमा से निकलते हैं तो हूबहू उस की नकल करना शुरू कर देते हैं। इस में खोसला कमेटी की रिपोर्ट में भी कई फिल्मों के नाम उद्धृत किये गए हैं जो कि 'ए' प्रमाण पत्र देने के लायक थी लेकिन उन को यूनिवर्सल केटेगरी में रख दिया गया जब कि उन्हें यूनिवर्सल नहीं रखा जाना चाहिये था। क्या सरकार का सेंसर बोर्ड के ऊपर कोई ग्रिप नहीं है कि वह जब चाहे, जैसे चाहे फिल्मों को छूट देती रहे और सरकार मूकदर्शी की तरह देखती रहे?

श्री वसन्त साठे : जाहिर है कि सिनेमा में जो कुछ दिखाया जाता है उस का कुछ असर तो हो रहा है। यहां भी राम विलास जी जब कुछ करते हैं तो कुछ लगता है कि कुछ असर हो रहा है। इसलिए असर होता होगा, यह मैं नामंजूर नहीं करता हूं। लेकिन इस के लिए सेंसर बोर्ड को सरकार के नियंत्रण में रखना और हर फिल्म के लिए रखना यह मुमकिन भी नहीं है और ठीक भी नहीं है। हम यह सोच रहे हैं कि सेंसर बोर्ड की गाइडलाइंस को देखें। उस की एक अपीलेट अथारिटी हो जो कि एक रिप्रेजेन्टेटिव करेक्टर की हो जिस से कि निष्पक्ष रूप से फिल्मों की जांच की जाए। यह व्यवस्था है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनको सेंसरशिप सर्टिफिकेट आज से कई बरस पहले, पांच दस बरस पहले दे दिया गया था। हमारी नीतियां उत्तरोत्तर बदलती जा रही है। कल चर्चा हो रही थी और समाज कल्याण मंत्री जी कह रहे थे कि शराब पीना बुरा है और उससे भी ज्यादा बड़ी बुराई अधिक पीने में है। एक फिल्म हमने देखी थी जिस में एक गीत यह था:

जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठ कर।

ऐसी फिल्में जो बहुत बरस पहले पास कर दी गई थीं उन पर अब आप प्रतिबन्ध लगाने की कोशिश करेंगे?

श्री भागवत झा आजाद : इसकी आखिरी लाइन भी बता दें।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : या वह जगह बता जहां खुदा न हो।

श्री वसन्त साठे : आप भी बता दें जहां खुदा न हो और तब पहला जो आपका जुमला है जिस को चाहते हैं कि अमल में लाया जाए और वैसी फिल्में न बनाई जाएं तो उसकी बात सोची जा सकती है।

सभापति महोदय : इसमें तो सारा निचोड़ आ गया है।

PROF. MADHU DANDAVATE: *Khuda* is not present in the treasury benches!

SHRI RATANSINH RAJDA: Our friend has not read Ghalib or other *sher*. One sher has said:

मयखाना बंद हुआ तो क्या
रिन्दों का ठिकाना और भी है।

Perhaps he has not read it. Film is a very powerful medium and about all these films made for Adults only, there is some irregularity going on. Those producers themselves come forward to see that they get 'A' Certificate. That apart, the controversy is going on in our films whether scenes of kissing should be shown or not. The Minister had expressed his opinion and that has created a great controversy in the country. Somebody told that a statement attributed to Mr. Sathe, the hon. Minister, was that he was in favour of kissing. (*Interruptions*). I would like to ask him a very pointed question: Is he for kissing or against kissing?

MR. SPEAKER: The question should be split into two parts!

SHRI VASANT SATHE: I would like to know a person who is not in favour of kissing.

PROF. MADHU DANDAVATE: Why don't you say that you have lip sympathy for kissing?

SHRI VASANT SATHE: I have every sympathy. We are all human beings. If it is a normal and natural thing in human life, then if films reflect a normal and natural thing, there should be no harm in that.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: The Minister has candidly accepted the fact that the Film Censor Act is observed more in the breach than in compliance. I would like to ask the Minister whether he is aware of the fact—he is aware of the fact, but the queston is, what steps he is taking—that after the censorship is done, the clipped portions are kept and preserved and then those clipped portions are added and are being exhibited throughout the country. Those are very vulgar scenes, sex-provocative and creating thoughts of violence in the minds of the people. What steps does he propose to take to prohibit this and to make the Customs Act enforceable? How does he propose to do it?

SHRI VASANT SATHE: I really do not know why the hon. member is repeatedly so provocative and provoked in the House. I do not know whether it has anything to do with those clipped portions! But this is a matter which is directly within the realm of the State if there is any breach of the Film Censor Act. Once a film is censored and a certificate is given, if uncertified portions are shown clandestinely, it is for the States to act and I hope the States will act.

Allocation of Coal to H. P.

*841. PROF. NARAIN CHAND PARASHAR: Will the Minister of ENERGY AND COAL be pleased to state:

(a) whether the allocation of Coal to Himachal Pradesh has been unsatisfactory from the very beginning and that now a cut of 60 per cent has been imposed on this allocation;

(b) whether the Government of Himachal Pradesh has brought it to the notice of the Government of India that consequent upon this cut, a large number of small scale industrial Units have either been closed down or forced to reduce production;

(c) whether for 47 Industrial Units depending on Coal in 1978 only 362 wagons of coal were allocated to Himachal against a demand of 700